प्राचार्य का कार्यालय, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम पर निर्देशों का अनुपालन एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–2181(18) दिनांक–02.12.2025 तथा भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली का पत्रांक–7179 दिनांक–05.12.2025 के आलोक में तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु डा० जय प्रकाश नारायण, व्यख्याता, प्रौस्थोडोंटिक्स विभाग/, डा० पंकज सिंह, ट्यूटर, कंजर्वेटिव डेंटीस्ट्री विभाग एवं डा० नवीन कुमार, ट्यूटर, कम्यूनिटी डेंटीस्ट्री विभाग, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को अपने कार्य के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

अतः उपरोक्त नामित नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम पर निर्देशों का अनुपालन एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–2181(18) दिनांक–02.12.2025 तथा भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली का पत्रांक–7179 दिनांक–05.12.2025 के आलोक में इस संस्थान में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन किया जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु इस आदेश के साथ नामित नोडल पदाधिकारी को उपरोक्त वर्णित पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है।

Tang 10/12/25

(डा० तनोज कुमार)
प्राचार्य
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बॉकीपुर, पटना

ज्ञापांक– 1629 पटना, दिनांक– 10.12.25

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागाध्यक्ष, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्यार्थ हेतु प्रेषित।।
3. डा० जय प्रकाश नारायण, व्यख्याता, प्रौस्थोडोंटिक्स विभाग/ डा० पंकज सिंह, ट्यूटर, कंजर्वेटिव डेंटीस्ट्री विभाग एवं डा० नवीन कुमार, ट्यूटर, कम्यूनिटी डेंटीस्ट्री विभाग, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. नोटिस बोर्ड/ वेबसाईट।

Tang 10/12/25

प्राचार्य
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बॉकीपुर, पटना

E-Mail/ Speed Post

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
स०स०-18 / विविध-56 / 2025- 2181 (18)

(35)

..केश कुमार सिंह (भा०प्र०से०)
सचिव
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बी0एम0आई0सी0एल0, शेखपुरा, बिहार, पटना।
परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, आयुर्वेदिक,यूनानी,होमियोपैथिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
अधीक्षक,न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना।
अधीक्षक, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना।
निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना।
निदेशक,राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना।
निदेशक,मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर।
निदेशक, फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर।
निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
निदेशक, लेडी एल्गिन जनाना अस्पताल, गया।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
सभी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल, बिहार।
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द/ रेफरल अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, बिहार।

पटना, दिनांक :- 02/12/2025

विषय **माननीय उच्चतम न्यायालय के Contempt Petition (C) No.(S).-749 of 2025 in SLP (Civil) No.(S).-14763 of 2024 के मामले में दिनांक-07.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग:- **मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग(मुख्य सचिव कोषांग), बिहार, पटना का पत्रांक-2254/गो0मु0स0, दिनांक-08.11.2025**

महाशय

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय के Contempt Petition (C) No. **(S)**.-749 of 2025 in SLP (Civil) No.(S).-14763 of 2024 के मामले में दिनांक-07.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वास्थ्य संस्थानो को **Stray Dogs** से सुरक्षित रखने हेतु निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

34

1. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अवस्थित सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बाड़, चहारदिवारी एवं गेट से सुरक्षित किया जाय ताकि Stray Dogs का आवागमन रोका जा सके।
2. स्वास्थ्य संस्थानों में जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट (Bio medical waste) एवं ठोस अपशिष्ट (Solid waste) का समुचित निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि Stray Dogs उससे आकर्षित होकर परिसर में प्रवेश न कर सकें।
3. सभी चिन्हित सरकारी अस्पतालों में एन्टी रेबीज वैक्सीन (ARV) एवं इम्यूनोग्लोबूलिन (Immunoglobulin) की हर समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्रवाई की जाए। निजी अस्पतालों से भी बैठक कर उन्हें ये व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाए।
4. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाय, जो परिसर के रख–रखाव एवं सफाई के लिए जिम्मेदार होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि Stray Dogs परिसर में प्रवेश न करें या न रहें। उक्त अधिकारी का विवरण प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय एवं संबंधित नगर निगम/प्राधिकार को इस संदर्भ में सूचित किया जाय।
5. सभी स्वास्थ्य संस्थान अपने संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ पंचायत से निरंतर सम्पर्क में रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–07 11.2025 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन **तीन (03) सप्ताह के अन्दर** सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय ताकि उक्त के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय में Compliance Affidavit दायर किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

लोकेश कुमार सिंह
सचिव
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

02/12/2025

ज्ञापांक– 2181 (18) **/ स्वा0, पटना, दिनांक–** 02 / 12 /**2025**

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्य सचिव कोषांग), मंत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2254/गो0मु0स0, दिनांक–08.11.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,

02/12/2025

भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

No.DCI/ARPM/Regulation/Gen/Gen/130/2025-26/2025/7179

Dated: 05-12-2025

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

Sub: **URGENT- संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन - तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु Compliance with Hon'ble Supreme Court Directions on Prevention of Stray Dog Ingress in Institutional Areas — Urgent Action Required**

महोदया/महोदय,

I am directed to forward herewith a copy of Government of India email dated 05.12.2025 regarding compliance with Hon'ble Supreme Court Directions on Prevention of Stray Dog Ingress in Institutional Areas.

2. Further, in the above mentioned email dated 05.12.2025, a copy of Hon'ble Supreme Court order in Suo Moto W.P. (C) No. 5/2025 titled "IN RE: CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" is enclosed, wherein Hon'ble Supreme Court, noting a significant rise in dog-bite incidents in institutional spaces, **has issued stringent and time-bound directions to all States/UTs and the Union of India to secure educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots and railway stations from stray-dog ingress, vide order dated 07.11.2025 in the Suo Moto W.P. (C) No. 5/2025 "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" pending before the Hon'ble Supreme court of India.**

3. Accordingly, you are directed to take necessary action as per the Court's directives and furnish a compliance report to the Dental Council of India by **10.12.2025** in the attached Excel format in hard copy as well as soft copy (pendrive).

4. **This matter must be treated with utmost priority.**

Yours faithfully,

Digitally signed by Abhishek Singh
Date: 2025.12.05 17:56:50 IST
Reason: Reason
Location: Location

(Dr. Abhishek Singh)
Joint Secretary
Dental Council of India

Copy for information to:-

1. The Secretary to the Govt.of India, (via Email)
Ministry of Health and Family welfare,
Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road,
New Delhi, Delhi - 110011.
dentaledu-mohfw@gov.in

2. Ms. Akanksha Ranjan, Deputy Secretary, (via Email)
Dental Education, Ministry of Health & Family Welfare, ,
Nirman Bhawan, Maulana Azad Road,,
dsar-mohfw@gov.in

3. Shri Amit Kumar, Under Secretary, (via Email)
Dental Education, Ministry of Health & Family Welfare, ,
Nirman Bhawan, Maulana Azad Road

Digitally signed by Abhishek Singh
Date: 2025.12.05 17:56:50 IST
Reason: Reason
Location: Location

(Dr. Abhishek Singh)
Joint Secretary
Dental Council of India

Enclosure(s) attachment as Noted

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi

Name of the Dental College -

Sl. No.	Directives (Part tV) in the order dated 07 -11-2025	Compliance Report Yes/No
1	Identification & Securing of Premises within two weeks every Govemment and private educational institution (schools, colleges, hostels), hospital and medical facility, sports complex/stadium, bus stand/ISBT, railway station and secure them through fencing, boundary walls, gates and similar Structural/administrative measures within eight weeks.	
2	Each institution must designate a **Nodal officer** responsible for cleanliness, preventing dog ingress, liaison with "municipal authorities and display the details of theNodal Officer prominently and notified to the municipal body.	
3	Mandated **Quarteily inspections** to ensure no dog habitats exist within or near these premises. Immediately remove any stray dog found inside the institution and sterilised and vaccinated, and **not returned to the same location.**	
4	All Govemment and private hospitals must maintain mandatory stock of anti-rabies vaccine (ARV) and immunoglobulin (RIG) al all times.	

Details of Action Taken	Remarks, if any